



R 5263-III/15

जिष्ठ महसूल

12-2-16

- 1- प्रकरण प्रस्तुत।
2. आवेक तथा उद्दे अभिभाषक श्री सुरेश चंड-  
नायसवाल की प्रका हीन वार कारणी गयी किन्तु  
सचन उपरान्त उपायित नहीं है। यदि आवेक  
रथा अभिभाषक सचन उपरान्त उपायित नहीं  
है। अतः संसिह की चारा 35(2) के तहत  
अदम वेरवी में रवादि किया जात है।
3. आदेग की प्रति अधी. चापा. को भेजी जाये।  
हसच्यात प्रकाग वजी से समाप्त होक पान्द हो।

